

PMU

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

संख्या-11/सू0अ0अधि0-05/2009(खण्ड-1) का0...../राँची, दिनांक- मई, 2019

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त एवं बंधेज निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-6975, दिनांक-08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प सं0-9865, दिनांक-10.11.2015 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

- (1) Under the '**Pay**' head, "Rs. 90,000/- per month (fixed) w.e.f. 01.01.2006" shall be substituted with "Rs. 2,50,000/- per month (fixed) w.e.f. 01.01.2016".
- (2) Under the '**Sumptuary Allowance**' head, "Rs. 15,000/- w.e.f. 01.09.2008 per month" shall be substituted with "Rs. 34,000/- w.e.f. 22.09.2017".
- (3) Under the '**Accomodation**' head, "an allowance equivalent to an amount of 20% of his pay plus dearness pay as house allowance" shall be substituted with "an allowance equivalent to an amount of 24% of the salary which shall be increased at the rate of-
 - (a) 27%, when Dearness Allowance crosses 25%; and
 - (b) 30%, when Dearness Allowance crosses 50%.....(w.e.f. 01.07.2017)
- (4) Under the '**Pension**' head "Rs. 16020 per annum w.e.f. 01.01.2006" shall be substituted with "Rs. 45,016/- per annum w.e.f. 01.01.2016" and "Rs. 5,40,000/- per annum w.e.f. 01.01.2006 shall be substituted with "Rs. 15,00,000/- per annum w.e.f. 01.01.2016".
- (5) इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेश: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-11/सू0अ0अधि0-05/2009(खण्ड-1) का0.....4277...../राँची, दिनांक- 30 मई, 2019

प्रतिलिपि:-/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।